मध्य प्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/ एफ 3-2/2013 /56 दिनांक 05/02/2015

प्रति,

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, म प्र शासन
   ----------------------------- --------------- (सभी प्रशासकीय विभाग)

2. आयुक्त / संचालक / मुख्यकार्यपालन अधिकारी / प्रबंध संचालक
   ----------------------------- --------------- (सभी विभागाध्यक्ष कार्यालय)

विषय :- मध्यप्रदेश शासन की ई-मेल नीति 2014 के अनुरूप ई-मेल सेवा उपलब्ध कराए जाने हेतु ।

संदर्भ :- मध्य प्रदेश शासन आदेश क्र. एफ 3-2/2013 /56, दिनांक 30 मई 2014

आप अवगत है, शासकीय कार्य व्यवहार में ई-मेल के उपयोग के दिशा-निर्देश तय करने एवं इसके उपयोग को वैधानिक स्वरूप प्रदान करने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश शासन की ई-मेल नीति 2014, जारी की गयी है। तत्संबंधी आदेश सुलभ संदर्भ हेतु पत्र के साथ अनुलग्नक 1 पर संलग्न है। मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों तथा उनके आनुषंगी संगठनों, जो अपनी निधि मध्यप्रदेश की संचित निधि से प्राप्त करते हैं, को यह ई-मेल सेवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा नि:शुल्क प्रदाय की जाएगी ।

विज्ञान एवं प्रोध्योगिकी विभाग की संस्था मैप आईटी क्रियान्वयन एजेंसी के चयन, नियुक्ति एवं आवश्यक प्रक्रियाएँ तय करने के लिए नोडल एजेंसी निर्दिष्ट की गयी है । नीति के प्रावधान के अनुरूप मैप आईटी द्वारा क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में NIC को चयनित किया जाकर सेवा स्तर अनुबंध (SLA) के आधार पर ई-मेल सेवा उपलब्ध कराए जाने के लिए समझौता ज्ञापन सम्पादित किया गया है ।

नीति के अनुसार शासकीय कार्य के लिए अनिवार्यत: मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी ई-मेल सुविधा का उपयोग होगा, अन्य सेवा प्रदायकों द्वारा दी जाने वाली ई-मेल सुविधा का उपयोग केवल गैर सरकारी / निजी संचार तक सीमित होगा । मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों तथा उनके आनुषंगी संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों को, जो इस सुविधा का उपयोग करते हैं, को इस ई-मेल नीति का पालन करना अनिवार्य होगा ।

ई-मेल आईडी अधिकारी के नाम तथा पदनाम दोनों के ही आधार पर निर्मित किए जा सकेंगे । पदनाम के आधार पर निर्मित ई मेल आई डी स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति के

समय पदानुवर्ती अधिकारी को प्रदाय किया जाएगा जवकि नाम के आधार पर निर्मित मेल आई डी नीति की शर्तों के तहत संबंधित अधिकारी अपने पास रख सकेगा ।

नीति के प्रावधानों एवं तय प्रक्रिया अनुरूप ई मेल सेवा का उपयोग करने के लिए प्रत्येक विभाग/ संगठन द्वारा नोडल अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की जाना है । इनके संभावित कर्तव्यों एवं कार्यो का विवरण त्वरित सन्दर्भ हेतु अनुलग्नक 2 पर सलन्ग है ।

आप से अनुरोध है कि

1. कृपया तदनुसार आपके विभाग स्तर पर सक्षम अधिकारी को नामांकित कर विभाग/ संगठन स्तर पर नोडल अधिकारी को नियुक्त कर जानकारी सलंग्न प्रपत्र अनुलग्नक 3 में यथाशीघ्र उपलब्ध करावे ।
2. प्रथम चरण में लगभग 1 से 1.5 लाख उपयोगकर्ताओ को ई मेल आई डी जारी किये जावेंगे, अतएव सलंग्न प्रपत्र में आपकी प्राथमिकता की जानकारी भी उपलब्ध करावे ।

इस सम्बन्धी में सभी सूचनाये कृपया emailmp@mp.gov.in पर Nodal Officer - eMail Services, MAP_IT, State IT Center, 47-A, Arera Hills, Bhopal-462004 को प्रेषित किये जाने का अनुरोध है | आवश्यकता होने पर अधिक जानकारी के लिए श्री विपुल गुप्ता , सलाहकार, स्टेट इ गवर्नेंस मिशन टीम अथवा श्री कमल जैन, नोडल अधिकारी, से दूरभाष क्र 0755 – 2518311, 702, 703 पर संपर्क किया जा सकता है |

धन्यवाद ।

(हरिरंजन राव)
सचिव, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, भोपाल

अनुलग्नक 2

सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) तथा नोडल अधिकारी (Designated Nodal Officer) के संभावित कर्तव्यों एवं कार्यो का विवरण

सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority)

1) उपयोगकर्ताओं के लिए ईमेल नीति और उनके विभागीय सेटअप के लिए ई-मेल नीति का पालन सुनिश्चित कराने के लिए, युक्तियुक्त नियंत्रण क्रियान्वित करेंगे ।

2) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके उपयोगकर्ताओं के आधिकारिक ईमेल एकाउंट केवल नीति अंतर्गत निर्धारित क्रियान्वयन एजेंसी के मेल सर्वर पर ही निर्मित किए जाएँ ।

3) विभाग/ संगठन स्तर पर नोडल अधिकारी को नियुक्त कर नोडल एजेंसी को सूचित करेंगे ।

4) उपयोगकर्ताओं के स्तर पर ई मेल नीति और उससे संबंधित सभी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना । कर्मचारियों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में एवं इसके अलावा ईमेल नीति पर समय समय पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने होंगे ।

5) संबंधित संगठन का सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि नियमित समयांतरालों पर ई-मेल सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते रहें ।

6) पदनाम के आधार पर ई-मेल आईडी निर्मित किए जाने वाले पदनामो की पहचान तथा उनके उपयोग की प्रक्रिया तय करना । पदनाम के आधार पर निर्मित ई मेल आई डी स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति के समय पदानुवर्ती अधिकारी को प्रदाय किया जाएगा ।

7) मध्यप्रदेश शासन ई-मेल के लिये वर्चुअल डोमेन होस्टिंग की सुविधा मुहैया कराएगा । इस प्रकार यदि कोई उपयोगकर्ता विभाग अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाली एड्रेसिंग नीति को अपनाना चाहता है तो सक्षम अधिकारी आवश्यक अनुमति पश्चात क्रियान्वयन एजेंसी को आवेदन कर सकता है ।

8) मध्यप्रदेश शासन की ई मेल सेवा लेने वाले सभी संगठनों के कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उस संगठन के सक्षम/ नोडल प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जो उसकी पूर्ण जॉच उपरांत अनुशंसा सहित ई-मेल एकाउंट आवंटन हेतु सम्बंधित विभाग/ क्रियान्वयन एजेंसी के द्वारा नियुक्त एडमिन को प्रेषित करेगा ।

नोडल अधिकारी (Designated Nodal Officer)

9) क्रियान्वयन एजेंसी से डेलीगेटेड एड्मिन कंसोल (delegated admin console) की सुविधा प्राप्त करने वाला संगठन हेतु इसका उपयोग संवंधित डोमेन के अंतर्गत एकाउंट निर्माण, नियमन व समाप्ति के लिए आवश्यकतानुसार सम्बंधित <u>नोडल अधिकारी (Designated Nodal Officer)</u> के द्वारा किया जायेगा ।